ISBN: 978-93-93166-14-2

ईसा पूर्व छठी शताब्दी के गणराज्यों में प्रजातांत्रिक मूल्य

डॉ. सुनील
पूर्व शोध छात्र,
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश,भारत

ईसा पूर्व छठी शताब्दी के गणराज्यों में प्रजातांत्रिक मूल्य

भारतीय समाज के लिए औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था को उपयुक्त नहीं मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में उसके देशीकरण पर बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर ने कहा है कि औपनिवेशिक न्याय पद्धति भारत की जनता के लिए उपयुक्त नहीं है। समय की माँग है कि न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाए। यद्यपि यह बड़ा काम है और इसमें समय लगेगा किंतु भारतीय समाज, विरासत और संस्कृति के अनुरूप न्याय व्यवस्था को ढालने के लिए यह काम किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय की उपर्युक्त टिप्पणी के संदर्भ में ईसा पूर्व छठी शताब्दी के गणतांत्रिक राज्यों का विहंगावलोकन आवश्यक हो जाता है क्योंकि बुद्धकालीन गणतंत्रात्मक राज्य अपनी सरल और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के लिए सुविख्यात थे। आधुनिक न्याय व्यवस्था का सूत्रवाक्य 'जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता, किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जाएगा' हमारे इन्हीं प्राचीन गणतांत्रिक राज्यों की देन है। उत्कृष्ट न्याय व्यवस्था नहीं वरन सीमित मताधिकार के साथ आधुनिक संसदीय लोकतंत्र की अनेक परंपराओं के मूल स्रोत की जानकारी हेतु ईसा पूर्व छठी शताब्दी के गणराज्यों का अध्ययन वर्तमान में प्रासंगिक है।

ISBN: 978-93-93166-14-2

तत्कालीन साहित्य में गंगाघाटी के दस गणराज्यों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है -

1. **संुसुमारगिरि के भग्ग** - विन्ध्य क्षेत्र की यमुना और सोन नदियों के बीच का प्रदेश भग्गों के अधिकार क्षेत्र में था। भग्ग राज्य वत्स राज्य के प्रभाव क्षेत्र में था क्योंकि चुल्लवग्ग से पता चलता है कि वत्सराज उदयन के पुत्र कुमार बोधि ने संुसुमारगिरि में बनवाए गए 'कोकनद प्रासाद' में महात्मा बुद्ध का स्वागत किया था।
2. **अलकप्प के बुलि** - यह गणराज्य आधुनिक बिहार के शाहबाद, आरा और मुज्जफरपुर जिलों के मध्य स्थित था। बुलि लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 'महापरिनिब्बानसुत्त' से ज्ञात होता है कि बुलि भगवान बुद्ध के शरीरावशेषों में एक अंश के दावेदार थे और उन्होंने उपलब्ध धातु अंश पर स्तूप का निर्माण करवाया था।
3. **केसपुत्त के कालाम** - यह गणराज्य सुल्तानपुर जिले के कुडवार से पालिया नामक स्थान तक फैला हुआ था। आचार्य आलार कालाम इसी गणराज्य से थे, जो उरुवेला के समीप रहते थे, और महात्मा बुद्ध ने गृहत्याग के पश्चात सर्वप्रथम उपदेश उन्ही से लिया था।
4. **रामगाम के कोलिय** - कोलिय गणराज्य शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। रोहिणी नदी शाक्य और कोलिय गणराज्यों के बीच से बहती थी और दोनों राज्यों के लोग सिंचाई के लिए इसी नदी के जल का उपयोग करते थे। कार्लाइल इसे रामपुर (देवरिया) मानते हैं जबकि अन्य इसका समीकरण रामगढ़ताल (गोरखपुर) से करते हैं। कोलिय गण अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था।

ISBN: 978-93-93166-14-2

5. **वैशाली के लिच्छवि-** इसमें बिहार राज्य के मुज्जफरपुर व चम्पारण जिले एवं सारण तथा दरभंगा जिले के कुछ भाग सम्मिलित थे। यह राज्य मगध के उत्तर तथा कोशल एवं मल्ल राज्यों के पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली का समीकरण मुज्जफरपुर जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित 'बसाढ़' से किया जाता है। लिच्छवि बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवि, वज्जिसंघ में सम्मिलित 'अट्ठकुलिक' अर्थात आठ गणतंत्र में सर्वप्रमुख माना जाता था। बौद्धकाल में चेटक यहाँ का राजा था। उसकी पुत्री चेल्लना का विवाह मगध नरेश बिम्बिसार से हुआ था जबकि महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के लिए महावन में प्रसिद्ध 'कूटागारशाला' का निर्माण करवाया था।
6. **पिप्फलिवन के मोरिय-** कार्लाइल ने पिप्फलिवन का समीकरण गोरखपुर से 14 मील दक्षिण-पूर्व स्थित उपधौलिया ग्राम से किया है। बुद्धवंस से पता चलता है कि मोरियों ने बुद्ध की चिता के अंगार पर 'अंगार स्तूप' का निर्माण करवाया था।
7. **कपिलवस्तु के शाक्य-** हिमालय की तराई में स्थित शाक्य गणराज्य रोहिणी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित था। कपिलवस्तु की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौराकोट से अथवा उत्तरप्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरहवा से की जाती है। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण इस गणराज्य का महत्व बहुत बढ़ गया था।

ISBN: 978-93-93166-14-2

8. **पावा के मल्ल** - कनिंघम ने पावा का समीकरण देवरिया जिले के पडरौना स्थान से किया है। पावा के मल्लों ने भी बुद्ध के धातु अवशेषों में एक भाग को प्राप्त किया था।
9. **कुशीनारा के मल्ल** - कुशीनारा का समीकरण देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से किया जाता है। बुद्ध काल में कुसीनगर विशाल नगर नहीं था। आनंद ने बुद्ध से कहा था कि कुसीनगर एक क्षुद्र नगर है। आप यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त न करें। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत मल्लों ने कहा था कि बुद्ध हमारे ग्राम क्षेत्र में निर्वाण को प्राप्त हुए हैं इसलिए हम उनके शरीरावशेष किसी को नहीं देंगे परन्तु युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर उन्हें बुद्ध के अवशेषों को आठ भागों में बाँटना पड़ा था।
10. **मिथिला के विदेह-** बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के भू-भाग में विदेह गणराज्य स्थित था। विदेह वज्जि संघ के महत्वपूर्ण सदस्य थे। कुण्डगाम विदेह में माना जाता था और महावीर की माता त्रिशला और अजातशत्रु की माता चेल्लना दोनों 'वैदेही' कहलाती थीं।

ईसा पूर्व छठी शती के बुद्धकालीन गणराज्यों में जनतंत्र शासन पद्धति प्रचलित थी। उनका कोई वंश क्रमानुगत राजा नहीं होता था। कौटलीय अर्थशास्त्र में लिच्छवि-राज्य को 'राजशब्दोपजीवी' कहा गया है जिसका अभिप्राय यह है कि लिच्छवि लोगों में प्रत्येक अपने को राजा समझता था। 'ललितविस्तर' से राजशब्दोपजीवी शब्द का अर्थ भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है। वहाँ लिखा है - वैशाली के निवासियों में उच्च, मध्य, वृद्ध, ज्येष्ठ आदि के भेद का विचार नहीं किया जाता। वहाँ प्रत्येक आदमी अपने विषय में यही समझता है कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। कोई किसी से छोटा

ISBN: 978-93-93166-14-2

होना स्वीकृत नहीं करता। लिच्छवि जनों की समानता की यह भावना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में वर्णित 'समानता के मूल अधिकार' का आदि स्रोत जान पड़ती है।

लिच्छवियों की सभा 'संस्था' आधुनिक संसद की भाँति गणराज्य की सर्वोच्च सभा थी। छोटे बड़े सभी मामले 'संस्था' में रखे जाते थे। वैशाली की गण संस्था कार्यकारिणी की नियुक्ति करती थी। इस कार्यकारिणी को हम 'महासमिति' कह सकते हैं। 'अष्टकुल' नामक संस्था उनकी न्याय महासमिति थी। अभियुक्त के अपराध की जाँच पड़ताल कई विशेषज्ञ पदाधिकारी और संस्थाएँ करती थीं। सर्वप्रथम अभियुक्त को 'विनिश्चय महामात्र' के पास लाया जाता था। वह मामले के तथ्यों का संग्रह व निश्चय करता था। वह अभियुक्त को दोषी न पाने पर छोड़ सकता था परंतु दोषी पाने पर दंडित नहीं कर सकता था। अगर अभियुक्त दोषी प्रतीत होता था तो मामला 'व्यावहारिक' के पास जाता था। व्यावहारिक एक प्रकार का विधिवेत्ता होता था। वह भी अभियुक्त को छोड़ सकता था परंतु उसे दोषी पाने पर स्वयं दंडित नहीं कर सकता था। तदुपरांत मामला 'सूत्रधर' के पास जाता था। वह व्यवहार-शास्त्र का आचार्य होता था। सूत्रधर धर्म तथा रीति-रिवाजों को समझ कर उनके परिवर्तनशील रूप के आवरण में छिपे मूल भाव की व्याख्या करता था। वहाँ भी अगर अभियुक्त दोषी प्रमाणित होता था तो उसका मामला 'अट्ठकुलिकों' के पास जाता था जिसमें संभवतः आठ जातियों के आठ प्रतिनिधि न्यायाधीश होते थे। वहाँ भी अगर अभियुक्त दंडनीय सिद्ध होता था तो उसका मामला क्रमशः 'सेनापति', 'उपराजा' व 'राजा' सुनते थे। अंतिम निर्णय राजा देता था और वही 'पवेणीपोत्थक' नामक दण्ड संहिता के अनुसार दण्ड निर्धारित करता था। न्याय पद्धति के अतिरिक्त आधुनिक संसदीय लोकतंत्र के अनेक विधान बीज रूप में उपर्युक्त गणराज्यों की शासन पद्धति में विद्यमान थे।

ISBN: 978-93-93166-14-2

'उव्वाहिका सभा' को कर्तव्य और अधिकार कुछ उसी प्रकार प्राप्त थे, जैसा आज 'प्रवर-समिति' को उपलब्ध हैं। विवादग्रस्त विषय उव्वाहिका समिति को सौंप दिए जाते थे। चुने हुए व्यक्ति समिति में सदस्य बनाए जाते थे। समिति का निर्णय सभी को मान्य होता था। 'आसन परिज्ञापक' परिषद के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करता था। अधिवेशन के लिए 'गणपूर्ति' अर्थात कोरम का भी विधान था। आधुनिक व्हिप की भाँति गणपूरक नामक अधिकारी कोरम पूरा कराने का प्रयास करता था। अधिवेशन में प्रस्ताव के बिना कोई विषय नहीं उठाया जा सकता था। प्रस्ताव (ज्ञप्ति) को प्रस्तोता (ज्ञापक) द्वारा औपचारिक रूप से उपस्थित करना आवश्यक था। उस समय प्रस्ताव को 'प्रतिज्ञा' कहते थे। उसके बाद उसकी तीन बार पुनरावृति (अनुस्सावन) आवश्यक होती थी जिससे सब ठीक तरह से उसे सुन लें। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता था कि क्या वह ज्ञप्ति से सहमत है? प्रायः ज्ञप्तियों के ऊपर बहुत वादविवाद होता था। वादविवाद केवल उसी प्रस्ताव या ज्ञप्ति तक सीमित रखा जाता था। ज्ञप्ति प्रस्तुत होने पर किसी सदस्य का मौन रह जाना उसकी सहमति समझी जाती थी। अगर किसी प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों में मतभेद हो जाता तो व्याख्यान दिए जाते और बहुमत के द्वारा निर्णय किया जाता था, जिसको 'यदभूयसिक' कहते थे। बहुमत जानने के लिए मतदान की प्रणाली प्रचलित थी। मतदान लेने वाला अधिकारी 'शलाका-ग्राहक' कहलाता था। मत या वोट को 'छन्द' कहते थे। मतदान 'शलाका-ग्रहण' से होता था। शलाकाएँ जो लकड़ी की होती थीं, सदस्यों को बाँट दी जाती थीं और उनसे कहा जाता था कि वे उस रंग की शलाका को चुने जो उनके मत के अनुरूप हो। उन्हें निर्देश होता था कि वह अपनी शलाका किसी को न दिखाएँ। इसके बाद शलाका एकत्र करने वाला अधिकारी (शलाका ग्राहापक) उन्हें एकत्र करता था। शलाका ग्रहण खुले रुप से भी हो सकता

ISBN: 978-93-93166-14-2

था, गुप्तरूपेण भी। आधुनिक रेफ्रेण्डम की तरह एक साथ मतदान भी प्रचलित था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा पूर्व छठी शती के गणराज्यों की शासन व्यवस्था में '**व्यक्ति की गरिमा**' को सर्वोपरि रखा जाता था। किसी भी अभियुक्त को 'अपराधी' न कह कर उसे क्रमशः सात न्यायालयों में भेज दिया जाता था, जिनमें से प्रत्येक को अपराध का संदेह न होने पर अभियुक्त को छोड़ देने का अधिकार था परंतु दण्ड देने का काम केवल 'राजा' का था और वह भी 'पवेणी पोत्थक' या दण्ड संहिता के अनुसार दण्ड देता था। **समता, स्वतंत्रता, समन्वय** और **विकेंद्रीकरण** जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों के अध्ययन के लिए ईसा पूर्व छठी शताब्दी के गणराज्य सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे।